



578


न्याय सचिवालय  
पत्रावली अक्टूबर 2010 में  
को पेश है: 

11/18


न्याय सचिवालय  
पत्रावली अक्टूबर 2010 में  
को पेश है: 

9-5118

09-5-18


न्याय सचिवालय  
पत्रावली अक्टूबर 2010 में  
को पेश है: 





14-6-18

पत्रावली राष्ट्र लोक अदालत 2018 का पे.  
फरमा 60 में पेश हुआ। वादी त. व प्रतिवादी ल.  
उपर-धर। सुप्रसन्नकरण ने बताया कि  
हमारे राजीनामा हो गया है। अब हम इस  
वाद को छोड़ना नहीं चाहते हैं।  
अब लोक न्याय न्याय विधी की सहायता के  
आधार पर वादी का वाद Not Press में खारिज  
विधा जा रहा है। पत्रावली फलशुभ होकर  
नम्बर 1 के है तथा दफ्तर पाखिल  
है।

14/6/18  
  
न्याय सचिवालय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाड़  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

**राजीनामा प्रपत्र**

सेवामें, कैम्प कोर्ट का स्थान : अटल सेवा केन्द्र करीमगढ़.....

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महादेय,  
उपखण्ड अधिकारी निवाड़

दिनांक 14-6-18

प्रकरण संख्या :- 87/2017 हरिनारायण बनाम सीताराम चौधरी  
..... अन्तर्गत धारा 188

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री हरिनारायण का निवेदन है कि

उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है:-

हमारे राजीनामा ही गमावे कब हम इस चार्ज की  
आगे चलाने नहीं चाहते हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. हरिनारायण  
2. ....  
3. ....  
4. ....

प्रतिवादी पक्ष 1. जगदीश चन्द्रा  
2. ....  
3. ....  
4. ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर.....  
(वादी पक्ष) नाम.....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर.....  
(प्रतिवादी पक्ष) नाम.....

प्रार्थी/वादी..... एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी.....

उक्त सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य)

(ह० सदस्य)

(ह० सदस्य)

(ह० सदस्य)

(ह० सदस्य)

31/4/18  
पीठासीन अधिकारी  
के.एस. अहिर